RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 दिसम्बर, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 7

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आप सबको नववर्ष 2015, क्रिसमस डे व गणतन्त्र दिवस की हार्दिक बधाई।

यह एक ऐसा समय होता है जब हमारे तीन महत्वपूर्ण पर्व कुछ ऐसे समय में आते हैं जिन्हें हम अलग–अलग पत्रिकाओं में देकर आपको बधाई नहीं दे पाते इस कारण एक साथ ही हमारी ओर से बधाई स्वीकार हो।

जैसा आप सबको ज्ञात होगा वर्ष 2014 आलू भण्डारण के लिए अच्छा वर्ष रहा। यद्यपि पूर्ण भण्डारण न हो पाया परन्तु फिर भी शीतगृहों का भाड़ा पूरी तरह से वसूल हो गया व किसानों को दिया हुआ लोन भी वापस आ गया।

सबसे अच्छी बात यह रही की भण्डारणकर्ताओं को अच्छे मुनाफे हुए जिससे उन्हें शीतगृह भण्डारण में रूचि बढ़ी। गत वर्ष में यह देखा जा रहा था कि भण्डारणकर्ताओं की रूचि शीतगृहों में आलू रखने के बारे में कम होती जा रही

मुम्बई में 11 दिसम्बर, 2014 को हुई फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष व प्रतिनिधि।

है और वह शीतगृह के भण्डारण करने के बजाए आलू को बेच देना ही उचित समझने लगे थे। अब उनकी इस राय में परिवर्तन आया है।

हमारी आशा है कि वर्ष 2015 में अधिक से अधिक भण्डारण होगा। इसके कई कारण हैं। कुछ तो अधिक फसल का अनुमान है और कुछ भण्डारण की तरफ रूचि भी अधिक है। पहले एक डर भी बैठ गया था कि अगर शीतगृहों की क्षमता पूरी तरह से भर जाती है तो भण्डारित आलू का निष्कासन कैसे होगा। परन्तु अब यह पाया जा रहा है कि आलू की खपत इस तरह तेजी से बढ़ी है कि वर्ष के अन्त तक सारा भण्डारित आलू समाप्त हो जायेगा। इसका मुख्य कारण अन्य सब्जियों का बहुत महँगा होना भी है। चाहे जैसे भी गिन ले आलू सबसे सस्ती सब्जियों में गिना जाता है और सबसे ज्यादा पसन्द किया जाता है। इसके साथ–साथ विदेशों से भी माँग निकल ही आती है। यदि किसी आलू उत्पादन करने वाले प्रदेश में आलू की फसल थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो आलू की एकदम कमी महसूस होने लगती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में आलू का मात्र उतना ही उत्पादन हो रहा है जितनी यहा की खपत है या यों भी सोच सकते हैं कि उत्पादन थोड़ा खपत से कम ही है।

शीतगृहों में आलू बुकिंग के नियम :

नव वर्ष 2015 में शीतगृहों में आलू बुकिंग के नियम के बारे मे अधिकांश शीतगृह अवगत होंगे परन्तु फिर भी नये शीतगृहों के लिए व पुराने शीतगृहों की यादे ताजा करने के लिए उन्हें यहाँ दे रहे हैं।

सरकारी नियम व सरकारी पत्र संख्या–3532/अठ्ठावन–1–98–100(28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर 1998 के अनुसार प्रदेश के समस्त शीतगृहों में प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी से खिड़की और बुकिंग प्रक्रिया लाइसेन्सधारी द्वारा आरम्भ की जायेगी और कुल 85 प्रतिशत बुकिंग होने तक अथवा फरवरी माह की 14 तारीख तक, जो पहले हो, बुकिंग चालू रखी जायेगी।

1. कोल्ड स्टोरेज अधिनियम की धारा 14 (1) के अर्न्तगत 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, इस प्रतिबन्ध के साथ कि 15 मार्च के अन्दर ही दिए गए निर्देश मान्य होंगे, किया जायेगा। इसके पश्चात अवशेष भण्डारण क्षमता का उपयोग लाइसेन्सधारी स्वयंविवेक और अधिनियम के प्राविधानों के अर्न्तगत रहते हुए करेगा।
2. केवल शेष 15 प्रतिशत क्षमता का उपयोग लाईसेन्सधारी द्वारा नियमावाली के नियम–3(18) के अनुसार किया जा सकेगा।

3. बुकिंग हेतु पर्ची/स्लिप का निर्गमन :

(क) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि आलू उत्पादक कृषक है तो उसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वा0डी0सी0सदस्य/जिला पंचायत सदस्य/ब्लाक प्रमुख/नगर पंचायत सदस्य/अध्यक्ष लेखापाल या ग्राम विकास अधिकारी से गाव का काश्तकार होने के सम्बन्ध में केवल एक पर्ची (स्लिप) प्राप्त की जायेगी जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम व पोस्ट, जनपद का नाम, कुल बोये आलू का क्षेत्रफल, कुल उत्पादित आलू की मात्रा बोरों/कुन्टल में तथा भण्डारित होने वाले आलू की मात्रा कुन्तल/बोरों में प्रमाणित की जायेगी। इस श्रेणी के भण्डारणकर्ताओं हेतु शीतगृह की कुल क्षमता की 75 प्रतिशत क्षमता नियत होगी।

(ख) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि कृषक नही है तो उसे आलू को भण्डारित कराने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत पर्ची मे उसका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा व्यवसाय, जिलाधिकारी/परगनाधिकारी/जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाणित एव आलू भण्डारित करने का उद्देश्य अंकित करना होगा। ऐसे भण्डारणकर्ताओं का आलू कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस बुकिंग का रिकार्ड कृषकों की रिकार्ड पंजिका में पृथक पंजिका पर की जायेगी।

(ग) यदि 'क' व 'ख' में निर्धारित क्षमता की बुकिंग 14 फरवरी तक न हो तो लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये शेष क्षमता का उपयोग स्वविवेक से कर सकता है।

4. बुकिंग खिड़की : बुकिंग हेतु प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक खिड़की पर बुकिंग हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

5. बुकिंग की जमानत राशि : इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार और स्थान में उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जितने कुन्टल भण्डारण के लिये बुकिंग की जायेगी उसके सापेक्ष 10.00 रूपये (मात्र दस रूपये) प्रति कुन्तल की दर से जमानत की राशि भी देनी होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 200 बोरा के लिये जमाना की अधिकतम धनराशि रूपया 1500 (रूपया पन्द्रह सौ मात्र) तथा इसके ऊपर बोरी के लिये रू. 4000.00 (रूपये चार हजार मात्र) से अधिक नहीं की जायेगी। बुकिंग पर्चा इच्छुक भण्डारणकर्ता को आलू भण्डारण हेतु तिथि तथा उससे ली गयी जमानत की राशि को अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जायेगा एवं उसकी उचित रसीद भी दी जायेगी।

6. **जमान्त की धनराशि का समायोजन :** इच्छुक भण्डारणकर्ता से ली गयी जमानत की धनराशि का उसके द्वारा भण्डारित माल की निकासी के समय समायोजन कर दिया जायेगा।

7. **भण्डारण न करने की दशा में जमानत की धनराशि का जब्त किया जाना :** यदि कोई इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी बुकिंग के सापेक्ष माल भण्डारित नियत तिथि को नहीं कराया है तो उसके द्वारा दी गयी जमानत की राशि लाइसेन्सधारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

8. **बुकिंग एव समीक्षा :** प्रत्येक लाइसेन्सधारी शीतगृहों पर की गयी बुकिंग की नियमानुसार पता व नाम की सूची जनपदीय उद्यान कार्यालयों को साप्ताहिक रूप में उपलब्ध करायेगा और सम्बधित जनपदीय कार्यालय अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार मौके पर जाकर समीक्षा करेंगे तथा कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् अनियमित रूप से की गई बुकिंग को निरस्त कर सकेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि निरस्त करने की प्रक्रिया भण्डारण के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।

9. **भण्डारण रसीद का तौल सहित निर्गमन :** लाइसेन्सधारी भण्डारणकर्ता को अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत पूर्ण पतायुक्त रसीद भण्डारण होने के तुरन्त बाद निर्गत करेगा जिसमें तौल और किराये का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जायेगा। इस हेतु समस्त भण्डारणकर्ता का भी दायित्व है कि वह 2 (क) व (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता आदि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें।

10. **बीमा :** अधिनियम की धारा 23 मे प्रत्येक लाइसेन्सधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि व क्षति के लिये बीमा का प्राविधान है इन्हीं प्राविधानों के अनुसार बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आलू के बंपर उत्पादन की उम्मीद कोल्ड स्टोरेज की बुकिंग पाँच जनवरी से :

किसानों को यदि आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। किसान आलू की पैदावार का अनुमान लगाकर बुकिंग का काम पाँच जनवरी से शुरू कर सकते हैं। लेटलतीफी पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वजह, इस बार आलू के बंपर उत्पादन की उम्मीद है और देरी पर आलू सड़ने की नौबत आ सकती है। सरकार ने इस आशंका के मद्देनजर आलू भण्डारण की तैयारी को लेकर गाइडलाइन जारी की है। बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को भी चालू कराने के लिए कहा गया है।

मौसम के अनुकूल होने के चलते शासन को उम्मीद है कि आलू की पैदावार ज्यादा हो सकती है। ऐसे में भण्डारण को लेकर मुश्किलें भी आ सकती हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने जिलाधिकारियों व जिला स्तरीय लाइसेंसिंग अधिकारियों से कहा है कि वे तत्काल देख लें कि क्या जिलों के कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंसों के नवीनीकरण हो गए हैं? क्या भवन व मशीनरी की स्थिति ठीक है? वैकल्पिक बिजली के लिए क्या जनरेटर की व्यवस्था कर ली गइ है? साथ ही हर कोल्ड स्टोरेज की वास्तविक क्षमता की जानकारी भी प्राप्त करें। प्रमुख सचिव उद्यान दीपक त्रिवेदी ने जिलाधिकारियों से अधिक आलू उत्पादन की उम्मीद जताते हुए बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को आगामी भण्डारण सत्र के लिए चालू कराने की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने को कहा है। त्रिवेदी ने बताया है कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंसधारी पाँच जनवरी से 15 फरवरी तक आलू भण्डारण के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता का 85 प्रतिशत बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार व सूचना पट पर आलू भण्डारण के शुल्क का ब्यौरा प्रदर्शित करना होगा।

शीतगृहों में फूलों का भन्डारण :

शीतगृहों में फूलों के भण्डारण का भी नया चलन चल पड़ा है और काफी फूल शीतगृहों में रखे जाने लगे हैं और अगर सही तरीके से शीतगृहों में रखा जाए तो यह फूल 15/20 दिन आराम से रुक जाते है बशर्ते की फूलों को ट्रे में रखा जाए और कमरे की आर्द्रता को 90 से 95 प्रतिशत पर रखा जाए। इसमें तापमान भी 34 से 38 डिग्री फारेनहाईट रखना चाहिए। इस तापमान पर गेंदा बहुत अच्छी तरह से रहता है। जेरबेरा फूल के लिए 2 डिग्री कम जरूरत पड़ती है। बाकी अपने यहाँ जब आप फूल रखेंगे तो धीरे–धीरे स्वयं ही तजुर्बा हो जायेगा। हम तो यह सोच रहे हैं कि फूलों का स्टोर शीतगृहों से लिए के बहुत नई व अच्छी लाइन सबित होगी, साथ ही शीतगृहों को पौधे रखने की भी ट्रायल लेनी चाहिए। विदेशों में तो पौधों का भण्डारण अच्छी मात्रा में होता है। पौधों के लिए थोड़ा उच्च तापमान व ताजी हवा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पौधों का भन्डारण उन पदार्थों के साथ बिलकुल नहीं हो सकता जो नीचे तापमान पर कम ताजी हवा में भी रह सकते हैं।

शादी ब्याह के अवसरों पर व बड़े त्यौहारों पर फूलों की माँग बहुत बढ़ जाती है और इस कारण उनका रेट भी बहुत ऊँचा हो जाता है। अतः शीतगृहों में फूल रखकर इसका फायदा उठाया जा सकता है।

इस article के काफी अंश श्री प्रशांत गुब्बा, गुब्बा कोल्ड स्टोरेज, तेलंगाना ने भेजे हैं। हम उनके आभारी हैं।

(6) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, दिसम्बर, 2014

(7) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, दिसम्बर, 2014

आलू पर प्रदर्शनी :

4जी India International Potato Expo 2015 चण्डीगढ़ में 15 व 16 जनवरी 2015 आयोजित की गई है। हमारे जो भी सदस्य इसे देखना चाहे देख सकते हैं। प्रदर्शनी परेड ग्राउण्ड, चण्डीगढ़, में होगी।

संपर्क :

शगुफता परवीन

मोबाइल नं : 08274802832

ई मेल : registration1@indianchamber.net

विस्तृत जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते है

अलीगढ मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि हर वर्ष की भांति चालू वर्ष में भण्डारण प्रभार निर्धारित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें उपस्थित सदस्य अपनी–अपनी राय प्रकट करते हैं और बहुमत के आधार पर भण्डारण प्रभार की दिशा निर्देशित की जाती है जिसके आधार पर भिन्न–भिन्न क्षेत्र अपने रेट अपनी समस्यायों के अनुसार निर्धारित कर लेते है। यह केवल एक दिशा–निर्देश रहता है। इसमें प्रत्येक शीतगृह अपना रेट स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र रहता है।

वर्ष 2015 के लिए यह मीटिंग अलीगढ़ में आयोजित की जा रही है जिसका विवरण इस प्रकार है।

- मीटिंग की तारीख : रविवार, 1 फरवरी, 2015
- मीटिंग का स्थान : रॉयल रेजीडेन्सी, दिल्ली जी.टी. रोड, अलीगढ़
- मीटिंग का समय : सुबह 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक

  सुबह 9.00 बजे से 10.30 बजे नाश्ता

  10.30 बजे मीटिंग आरम्भ

  1.00 बजे से 2 बजे दोपहर लंच

  2.00 बजे से 4.00 बजे सांय मीटिंग

  4.00 बजे से 5.00 बजे सांय चाय–नाश्ता

इस मीटिंग की किसी भी समस्या के लिए आप निम्न चार व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं :–

1. श्री गिर्राज महेशवरी, अध्यक्ष अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज, अलीगढ़ (जी.जी कोल्ड स्टोरेज, इगलास)
   मोबाइल नं : 09756333333
2. श्री रविकान्त अग्रवाल, अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, सादाबाद अध्यक्ष हाथरस कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन,
   मोबाइल न : 09917478303
3. श्री मोहित अग्रवाल, शिवांग कोल्ड स्टोरेज (सचिव पं0 उत्तर प्रदेश)
   मोबाइल नं : 09927711154, 09219667709 ई मेल : shivangcoldstore@yahoo.com
4. श्री ममनेश सिंह, मोबाइल नं : 08194002036

इस मीटिंग में बहुत से सदस्यों को बहुत सुबह 10.00 बजे तक पहुँचना सम्भव न हो पायेगा ऐसे समस्त सदस्यों को जो 31.1.2015 को ही अलीगढ़ पहुच जाना चाहते हैं एक कमरे में दो व्यक्तियों के ठहरने के आधार पर ठहरने का इन्तजाम किया गया है। भोजन की व्यवस्था कब और कहाँ होगी संपर्क व्यक्तियों से ज्ञात कर सकते हैं। दिनाक 1.2.2015 को किसी भी कारण से कोई सदस्य अलीगढ़ से प्रस्थान न कर पाए तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था कर दी गई है। केवल अन्तर यह रहेगा की 1.2.2015 की रात्रि भोजन का कोई प्रबन्ध नहीं है।

हमें आशा है की अधिक से अधिक संख्या में हमारे सदस्य इस मीटिंग में पहुचेंगे और आलू की फसल के बारे में जानकारी देंगे जिससे सही भण्डारण प्रभार निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

यह पूरे वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। अतः हम आशा करते है की हमारे सदस्य इसका महत्व समझेंगे।

जो सदस्य भी 31.1.2015 जनवरी को अलीगढ़ रूकना चाहते हैं उन्हें अपने आने के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले संपर्क व्यक्तियों में किसी को लिखित सूचना अवश्य भेजनी होगी अन्यथा आयोजक किसी भी तरह की असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

बाम्बे मीटिंग के सम्बन्ध में :

दिनाक 11.12.2014 को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग का प्रबन्ध Reed Manch Exhibitions द्वारा किया गया। मीटिंग काफी सफल रही और हमारे सदस्यों ने काफी उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया। इस मीटिंग की विशेषता यह भी थी की इस मीटिंग में 10.12.2014 को फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की ओर से विशिष्ट व्यक्तियों व

एसोसिएशन के लिए उनके कार्यों को देखकर अवार्ड वितरित किए गए। अवार्ड वितरण को सदस्यों ने व विदेश से आए हुए अतिथियों ने बहुत ज्यादा सराहा। जिन व्यक्तियों व सस्थाओं को अवार्ड दिए गए उनके नाम निम्न प्रकार है :–

1. MOST SUPPORTING PERSONS FOR FEDERATION

(a) SHRI HANSMUKH JAIN GANDHI, GANDHI COLD STORAGE, INDORE

(b) SHRI MUKESH AGARWAL, JASWANT COLD STORAGE, NEW DELHI

2. BEST COLD STORAGE FOR GENERAL COMMODITIES

GUBBA COLD STORAGE LIMITED, HYDERABAD

3. MOST SUPPORTIVE ASSOCIATION

AGRA COLD STORAGE OWNERS ASSOCIATION

4. MAXIMUM ATTENDANCE IN AGM (MUMBAI)

FIROZABAD COLD STORAGE ASSOCIATION

5. EXCELLENT LEADERSHIP FOR COLD STORAGE MEMBERS

SHRI VIRENDER SINGH, GHAZIPUR

6. AWARD OF APPRECIATION

(a) SHRI MOHIT AGARWAL, SHIVANG COLD STORAGE (P) LTD., HATHRAS, U.P.

(b) SHRI PATIT PAWAN DEY, KOLKATTA

7. AWARD FOR LOCAL SUPPORT

(a) JAI JINENDRA COLD STORAGE (P) LTD., PUNE

(b) SAVLA ICE & COLD STORAGE, MUMBAI

8. BEST SUPPORTIVE COMPANY

M/S UPL LTD., MUMBAI

9. SPECIAL AWARD FOR ORGANIZING TRAINING PROGRAMME

M/S KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., PUNE

10. BEST SUPPORTIVE BANK

PUNJAB NATIONAL BANK

11. AWARD FOR HOSTING AGM IN MUMBAI

SHRI ANUJ MATHUR

M/S REEDMANCH EXHIBITIONS LTD., MUMBAI

इस समय Reed Manch Exhibitions द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया जो कि Refrigeration Industry को लेकर एक अनोखी प्रदर्शनी थी। इसमें 150 Machinery Manufacturers ने अपने स्टाल लगाये। इसमें भाग लेने वाले USA, Britain, China, Netherland आदि देशों के साथ भारतीय कम्पनियाँ भी शामिल हुई। प्रदर्शनी देखने व समझने काबिल थी। यह प्रदर्शनी 12.12. 2014 तक चली।

शीतगृहों की तरफ से काफी बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे जो की एक सराहानीय कार्य है क्योंकि मुम्बई जैसे शहर में जो कि उत्तर प्रदेश से काफी दूर है इतने लोगों की उपस्थिति इन जाड़े के दिनो मे, सराहनीय ही कही जायेगी।

इस सेमिनार मे श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने Panel Discussion के बाद अन्य कार्यो मे भी हिस्सा लिया। Panel Discussion es Good Agriculture Practice पर जोर दिया और बताया कि जब तक किसानों को इस नई टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं कराया जायेगा इच्छा अनुरूप उन्नति में समय लगेगा। विदेशों से आने वाले प्रतिनिधियों ने भी इन कई Panel Discussion में हिस्सा लेकर अपने विचार प्रकट किये जिसमें शीतगृह का सही संचालन, सही भण्डारण, शीतगृह कार्य करने की कीमत कैसे घटाई जाए, इस क्षेत्र में और कैसे प्रगति की जाए आदि पर प्रकाश डाला फेडरेशन की मीटिंग में शीतगृहों ने कई विषयों पर अपने विचार रखे, जैसे शीतगृह Fire Fighting Equipment पर सरकार से सही हल चाहते हैं। Development और नई Technology-Based Exhibition करवाना चाहते हैं। शीतगृहों मे Modernization of Cold Storage पर भी जोर दिया।

बिहार मे कोल्ड स्टोरेज की संख्या घटने पर चिन्ता व्यक्त की गई। अधिकतर सदस्यों ने बिजली के बारे में माँग उठाई और कहा बिजली की कमी बहुत गम्भीर है और इसके लिए फेडरेशन को सरकार से Solar Power पर 80% Subsidy तक के लिए बात करनी चाहिए। Shri S. Mukunthan, Secretary, Tamil Nadu Cold Storage Association ने बहुत अच्छा विचार दिया कि फेडरेशन को एक Legal Cell तैयार करना चाहिए। Legal Cell की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या धन की कमी है क्योंकि कानूनी लड़ाई में धन का व्यय बहुत होता है। फेडरेशन के पास अपने फंड न के बराबर है। यदि फेडरेशन के सदस्य राज्य क्षमता के अनुसार 25000 रू प्रति राज्य, प्रति वर्ष, इस मद में जमा करें तो Legal Cell की स्थापना मे सहायता मिलेगी। श्री राजेश गोयल, सचिव, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया ने बहुत अच्छी बात यह बताई कि अभी तक फेडरेशन की वजह से शीतगृहों में एका बहुत तेजी से बढ़ा है और इस वर्ष तो 80 प्रतिशत क्षमता भरने के बाद भी शीतगृहों ने सामान्यतः निर्धारित भण्डारण प्रभार ही बनाए रखा। करीब–करीब

सारे वक्ता इस मत के थे कि इस वर्ष करीब 15 प्रतिशत बुआई अधिक हुई है व अभी तक के सही मौसम के कारण इस वर्ष आलू की फसल काफी अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी कोई भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा क्योकि कब मौसम का मिजाज बदले।

मीटिंग में हमारी ओर से जिसे हम सबसे बड़ी सफलता मानते है फेडरेशन में दो नए सदस्यों का सम्मिलित होना एक, नवी मुम्बई कोल्ड स्टोरेज आनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरी महाराष्ट्र कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन। इन एसोसिएशन के होने से भारत के स्तर पर हमारे संगठन को विशेष बल मिलता है।

श्री लालजी भाई सावला, अध्यक्ष, नवी मुम्बई कोल्ड स्टोरेज आनर्स वेलफेयर एसोसिएशन स्वयं उपस्थित थे। उन्होने भविष्य मे फेडरेशन को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया। आशा है कि उनके क्षेत्र में जो unhealthy Competition शीतगृहों में चल रहा है वह कम होगा।

महाराष्ट्र कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की ओर से Shri Rajendra D Parekh, President, Pune mifLFkr jgsA Shri Bipin Revankar, Eco Fresh Cold Storage Pvt. Ltd. Pune Mobile: 09881067131 ds ekfyd ogk ds lfpo o Shri Rajkishor S. Kendhe, Iceage Cold Storage Pvt. Ltd., Pune Mobile : 09850670182 ने मीटिंग को attend किया और हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया।

हम आशा करते हैं कि इस प्रकार हमारी फेडरेशन मजबूत और मजबूत होती जायेगी।

National Centre for Cold Chain Development की 15/12/2014 की मीटिंग के सम्बन्ध में :

National Centre for Cold Chain Development की एक मीटिंग दिनांक 15.12.2014 को कृषि भवन में आयोजित की गई जिसमे फेडरेशन की ओर से श्री मुकेश अग्रवाल, Vice President, Delhi and Co-ordinator Government Affairs, ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का Agenda इस प्रकार था।

Agenda

Review and approve the document “Guidelines & minimum System Standards for Implementation in Cold-chain Components” For use as minimum standards in cold-chain projects being developed with Government assistance.

Meeting की पूरी Proceedings हम अपने सदस्यों की जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सारा हम अंग्रेजी में इसलिए दे रहे हैं कि अन्य प्रदेशों के लोग भी पढ़ सके।

Proceedings :

1. Shri Pawanexh Kohli, Co-chairman welcomed Shri Sanjeev Chopra, Chairman, all Committee Members and attending Government officers. Chairman asked Co-chairman to take up agenda of the meetings.
2. Shri Pawanexh Kohli, Co-chairman presented the document for review of the Committee.
   - Committee was reminded that the draft document was first shared at a conclave on 9-May-2014 with NHB, MoFPI, APEDA, MNRE, State Government officers, NPC and NABARD and was since kept in public domain on NCCD's website for comments. Various inputs and clarifications received were added to the final document being presented for review. Any corrections proposed by this committee would also be incorporated.
   - Committee was informed that the draft document was also shared with CII Task Force on Cold-chain in August 2014 and thanked them for inputs. On 10-Oct-2014 CII Task Force gave in principle agreement of the proposed guidelines.
   - Thereafter. a presentation on each component item and chapter wise documentation was given for discussions. All the chapters on the cold-chain components incorporated in the MIDH scheme were reviewed.
   - It was informed that existing equipment standards notified and recommended by Standards Authorities have been incorporated and are required to be, complied with and this document was only to guide minimum system standards.
   - Committee members suggested that information on how a beneficiary could apply for subsidy be included in the document. The complete DPR submission process and sanctioning procedure & delegation of powers was explained as per MIDH operational guidelines.
   - Committee was also informed about, the nomination of Nodal Officers for Cold-chain Development (NOCCD) of MIDH in each state and of the setting up of technical teams comprising of State Horticulture officers and Professors from State Agriculture Universities at various states.
3. Shri Sanjeev Chopra, Chairman requested the members if they had any other views & concerns on the matter. Accordingly, other issues were discussed as detailed below :
   - Shri Mukesh Aggarwal suggested that instead of providing subsidies, Government may consider providing interest free loans to the beneficiaries, as it will attract serious investors and funds will be refunded to Government after a pre-defined period. Chairman said that the model could be examined and that committee members could contribute to develop a specific proposal for due consideration.
   - Shri P.Ravichandran pointed out that there is confusion about various government schemes and subsidies provided by different Ministries. Shri Arvind Surange suggested that a consolidated document may be prepared indicating all the government schemes and subsidies provided by different Ministries. Co-chairman

informed that a consolidated document can be prepared. He also informed that convergence between schemes of various ministries may be forthcoming as MoFPI is considering to align their assistance patterns for Cold-chain infrastructure with that of MIDH.

- Shri Ravichandran mentioned that CII 'Task Force on Cold-chain had equipment manufacturers as its members and the task force was willing to take up future development on equipment specifications with Bureau of Indian Standards/BEE, with support of NCCD. Co-chairman stated that NCCD and this Committee would be glad to support such future development wherever improved efficiencies and functions in cold-chain were promoted.
- Members enquired about recent budgetary allocation of special funds for Cold-chain infrastructure development. Co-chairman informed that the Union Budget had announced Rs. 5000 crores (2014-15) for developing scientific warehousing. Under this Fund, all components under Cold-chain infrastructure e.g. pack houses, cold stores, reefer transport, ripening chambers etc. are eligible for assistance. The fund is being implemented through NABARD with the approval to directly lend to all enterprises (private/cooperative/government owned) under the scheme provided project complies with the guidelines/norms as laid by NCCD. Funds are available at NABARD PLR based interest rates (currently 9.25%). Another Rs. 2000 crores was recently made available as lending window from NABARD, especially for food-processing units on similar terms. In effect, besides existing government support in form of subsidy and fiscal benefits, an additional Rs. 7000 crores was available at low interest rates, through BABARD to cold-chain and food processing units.
- Shri Mukesh Aggarwal suggested that Power for running cold storages at night be made available at lower tariff. He also suggested that norms should not restrict use of cold chain infrastructure for other segments like pharma Companies. Co-chairman informed that the norms currently required that in case of reefer transport, at least one leg be horticulture produce and users were free to use for other products in this respect. This was done to add to viability and capacity utilisation. Furthermore, while focus area of development is for food, any conjoined use with other low volume goods is not barred.
- Shri Arvind Surange raised concerns that infrastructure created could be occupied by potatoes vs flowers both with different volume to weight ratio, and that the support did not differentiate that 10 tons of potato takes less space than 10 tons of flowers. Co-chairman explained that in order to harmonise the measure for infrastructure space created, the capacity admeasurement for the purpose of subsidy had been standardised, irrespective of the goods to be stored. For purpose of basiness modelling and for refrigeration design, individual projects would continue to factor in the type of goods intended to be stored. Standardised measures were used to assess space created in cubic metres to harmonise with global practices.
- Hence, the support to infrastructure created would be related to volume of enclosed

space. The example was stated, that input cost of a truck of 20 ton capacity did not vary depending on whether it is used for potato or flowers. cotton or rocks. Similarly, 100 cubic meter of space to be insulated and refrigerated for 0^0C and 95% RH, while capable of storing different mass in potato and flowers would have the same basic input cost. Mr. Jose C. Samuel added to explain that all farm production is measured in tons while space created is in cubic meters. That is why a common measure was incorporated in norms while keeping the volume to weight correlation with production from farms.

4. Co-chair informed committee that some queries are reported about cost norms as consultants and beneficiaries tend to confuse between market driven equipment costs which are subject to change by manufacturers and the normative cost assigned for budgetary outlay and development purposes by the government. The committee members were asked to disseminate clarity to stakeholders who are ignorant of the difference and to freely explain the distinction between a selling price and norms assigned to drive development. The committee was also informed that as new technologies were developed revisions and changes to components could be proposed through this committee for approval and inclusion in government support.

5. Shri Mukesh Aggarwal stated that the Document for review brought improved clarity for users. He declared that the Federation of Cold Storage Associations of India recommends the adaption of the proposed document. The motion was unanimously seconded by the other members.

6. The document 'Guidelines & minimum System Standards for Implementation in Cold-chain Components' was approved by all members of the Committee on Technical Specification, Standards, Test Laboratory and Product Certification.

7. The meeting ended at 1700 hrs with vote of thanks to the Chair.

(Pawanexh Kohli)
Co-chairman

(Sanjeev Chopra)
Chairman

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित